हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ

तिथि 9 दिसंबर 2025 समय 1305

**********************************************************************

**********

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 21 वीं सदी विज्ञान की सदी है,आज हर क्षेत्र में चाहे शिक्षा हो या अंतरिक्ष विज्ञान की मदद से देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

केंद्रीय मंत्री पंचकूला में चल रहे 4 दिवसीय भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को संबोधित कर रहे थे।

श्री मनोहर लाल ने कहा -

उन्होंने कहा कि विज्ञान की तरक्की के लिये युवाओ को नई नई जानकारी मिलनी चाहिए और यह महोत्सव युवाओं की विज्ञान के प्रति रुचि और जानकारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है।

उन्होंने कहा कि कृत्रम मेधा का उपयोग समस्याओं का हल निकालने व लागत को कम करने व सुविधाएं देने के लिए जितना करना चाहिए वो जरूर किया जाएगा।

उहोने कहा कि प्रधानमंत्री का आह्वाहन भी है कि ए आई का उपयोग मानव कल्याण के लिएकिया जाए ।

**********************************************************************

**********

हरियाणा सरकार ने हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र -एन सी आर में चलने वाले टूरिस्ट और अन्य वाहनों की उम्र तय कर दी है। इन नियमों को हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। संशोधन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ पेट्रोल या सी एन जी पर चलने वाले वाहनों को 12 साल तक चलाने की अनुमति होगी, जबकि इसी परमिट श्रेणी के तहत डीजल वाहनों को अधिकतम 10 साल तक चलाने की अनुमति होगी। गैर-एन सी आर क्षेत्रों के लिए, पेट्रोल या CNG और डीजल पर चलने वाले ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहनों की अधिकतम परिचालन आयु 12 साल होगी।

एन सी आर क्षेत्र में स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, गुड्स कैरिज और स्कूल बसों सहित अन्य सभी परमिटों के लिए, पेट्रोल, सी एन जी , इलेक्ट्रिक या अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले वाहनों के लिए अधिकतम वाहन आयु 15 साल और डीजल वाहनों के लिए 10 साल तय की गई है।

गैर-एन सी आर क्षेत्रों के लिए, स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, गुड्स कैरिज और स्कूल बसों सहित पेट्रोल, CNG, इलेक्ट्रिक या अन्य स्वच्छ ईंधन और डीजल पर चलने वाले सभी वाहनों की अधिकतम परिचालन आयु 15 साल होगी।

*************************************************************
**********

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि हालिया हवाई संकट के लिए इंडिगो पूरी तरह से ज़िम्मेदार है और वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रही है। श्री नायडू ने कहा कि हालिया रुकावटों और उड़ान रद्द होने के लिए इंडिगो के अपने इंटरनल क्रू और पायलट के इस्तेमाल का कुप्रबंधन ज़िम्मेदार है, न कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के दिशा निर्देश जिम्मेदार हैं।

उन्होंने घोषणा की कि सरकार पर उनका कोई दबाव नहीं है और उसने हमेशा हर एयरलाइन के साथ समान व्यवहार किया है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि नगर विमानन महानिदेशालय - DGCA को एयरलाइन से पहले ही ज़रूरी अनुमालन सहमति मिल गई थी। DGCA ने दिशानिर्देशों पर एक

स्पष्टीकरण बैठक भी आयोजित की थी, जहाँ इंडिगो ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी।

************************************************************
**********

हरियाणा मंत्रिमंडल ने छह जिलों नारनौल, रेवाड़ी, यमुनानगर, फरीदाबाद, सिरसा और झज्जर के 17 गांवों को एक तहसील, उप-तहसील से दूसरी तहसील, उप-तहसील में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

सरकार का कहना है कि भौगोलिक दूरी और प्रशासनिक सुविधाओं को देखते हुए इन जिलों के उपायुक्तों की सिफारिश पर महेंद्रगढ़ जिले के एक गांव, रेवाड़ी के एक गांव, यमुनानगर के 3 गांव, फरीदाबाद के कुछ इलाके, सिरसा के 9 गांव और झज्जर जिले के 3 गांवों की तहसील, उपतहसील बदली जाएगी।

---

हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (समूह क) नियम 2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

यह संशोधन भारतीय नागरिक सुरक्षासंहिता (बीएनएसएस) 2023 कीआवश्यकताओं के अनुरूप एक आधुनिक, सक्षम और कानूनी रूप से सुदृढ़ अभियोजन संवर्ग के गठन के लिए किया जाएगा।

संसद द्वारा पारित नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप, बीएनएसएस-2023 में राज्य और जिला स्तर पर लोक अभियोजकों व अभियोजन निदेशालय से संबंधित कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार पहले ही 48 नए पदों को मंजूरी दे चुकी है, जिनमें उप निदेशक के 24 और सहायक निदेशक के 24 पद शामिल हैं। ये पद

बीएनएसएस-2023 की धारा 20 के तहत निदेशालय की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक हैं।

इन पदों की भर्ती प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और अनुभव निर्धारित करने के लिए अब समूह  क नियम 2013 में संशोधन किया गया है।

*************************************************************

**********